[2018] 2 एस. सी. आर. 598

मेसर्स ओ. एन. जी. सी. मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।

वी.

मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर।

(2018 की सिविल अपील संख्या 1659)

फरवरी 07,2018

[आर. के. अग्रवाल और अमितावा रॉय, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 11 के तहत शक्ति का प्रयोग-जब उचित नहीं है- अपीलार्थी को अनुबंध प्रदान किया गया उत्तरदाता नं। 1 - 21.09.2012 पर, उत्तरदाता नं. 1 जमा किया गया कोई बकाया/कोई दावा प्रमाणपत्र नहीं-10.10.2012 पर, अपीलार्थी ने प्रतिवादी नं. 1 - 24.10.2012 पर, उत्तरदाता नं. 1 नो ड्यूज सर्टिफिकेट को यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह दबाव और जबरदस्ती के तहत पत्र डी. टी. डी. के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

12.01.2013 अपीलार्थी के लिए, प्रत्यर्थी सं। 1 रु. का दावा प्रस्तुत किया। 96,88,48,642 / - अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के रूप में, अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार किया गया-प्रत्यर्थी सं। 1 मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए अपीलार्थी को नोटिस भेजा गया, अपीलार्थी द्वारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया-याचिका यू / प्रतिवादी सं. 11 द्वारा दायर की गई। 1 उच्च न्यायालय के समक्ष, अनुमत-आयोजितः मान लीजिए, न-देय प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी नं. 1 21.09.2012 पर और उनके अनुरोध पर अपीलार्थी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था-यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त प्रमाण पत्र दबाव या जबरदस्ती के तहत दिया गया था-एक महीने के अंतराल के बाद, यानी 24.10.2012 पर, उत्तरदाता नं। 1 जबरदस्ती और दबाव के आधार पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट को वापस ले लिया गया-अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान का दावा 12.01.2013 पर किया गया था, यानी साढ़े तीन महीने के अंतराल के बाद, जबकि अंतिम विधेयक का निपटारा 10.10.2012 पर किया गया था, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे-जब प्रतिवादी नं। 1 अंतिम भुगतान को उसके सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में स्वीकार कर लिया गया, अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के दावे को विलंबित स्तर पर उठाने का कोई मतलब नहीं था, जिससे थोड़ा सा संदेह पैदा होता है कि अंतिम बिल जमा करते समय इस तरह के दावे का निपटारा क्यों नहीं किया गया-दबाव के बारे में कहानी इस पृष्ठभूमि में एक विचार के बाद की गई थी कि सभी दावों के निष्पादन के दौरान नुकसान हुआ था।

598 मेसर्स ओ. एन. जी. सी. मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। वी. मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अनुबंध की कल्पना पहले नहीं की गई थी-केवल यह आरोप कि कोई दावा प्रमाण पत्र वित्तीय दबाव के तहत प्राप्त नहीं किया गया था और जबरदस्ती से मध्यस्थता विवाद नहीं होता है-कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिकार का प्रयोग किया जा सके। एस. 11-उच्च न्यायालय यू/के तहत शक्ति का प्रयोग करने में उचित नहीं था एस. 11-अनुबंध।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 जब कोई दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते द्वारा या पूर्ण अनुबंध के निष्पादन द्वारा किसी अनुबंध के निर्वहन का उल्लेख करता है।

और एक पक्ष द्वारा अंतिम निर्वहन वाउचर/रसीद, एक समझौते या निर्वहन वाउचर को संदर्भित करता है जो वैध रूप से और स्वेच्छा से निष्पादित किया जाता है। यदि वह पक्ष जिसने निष्पादित किया है

निर्वहन समझौता या निर्वहन वाउचर, आरोप लगाता है कि

इस तरह के निर्वहन समझौते या वाउचर का निष्पादन दूसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के कारण था और इसे स्थापित करने में सक्षम है, तो स्पष्ट रूप से

इस तरह के समझौते/वाउचर द्वारा अनुबंध का निर्वहन अमान्य हो जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नतीजतन, ऐसे पक्ष द्वारा उठाया गया कोई भी विवाद मध्यस्थता योग्य होगा। लेकिन यदि पक्ष इस तरह के दावे को स्थापित करने में सक्षम नहीं है या इसमें कमी प्रतीत होती है

विश्वसनीयता, तो यह अदालतों के लिए खुला नहीं है कि वे विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें। [पैरा 19] [612-ई-जी] 1.2 हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय ने संविदाकारी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया-प्रतिवादी नं। 1 इस दावे पर कि

जबरदस्ती/अनुचित के कारण कोई देय प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त प्रभाव। संविदाकारी ने अपने दावे को आधार बनाते हुए, चालू लेखा (आर. ए.) बिलों के भुगतान को जारी करने के लिए अपीलार्थी को जारी किए गए पत्रों पर भरोसा किया। क्या संविदाकारी के खिलाफ दबाव और जबरदस्ती की गई थी-अपीलार्थी द्वारा कंपनी की जांच उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जिसमें पक्षों के बीच उक्त पत्रों का आदान-प्रदान किया गया था। [पैरा 22] [616-ई-जी]

1.3 नो ड्यूज सर्टिफिकेट दाखिल करते समय दबाव और जबरदस्ती का झूठा दावा करने के अनुसार, संविदाकारी-कंपनी,

अपीलार्थी को 12.01.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से, [2018] 2 एस. सी. आर. के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए Rs.96,88,48,642/- के लिए दावा प्रस्तुत किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ठेकेदार, परियोजना से विस्थापित परिवारों को छुट्टी न देना, वन मंजूरी के लिए अनुमति, लकड़ी के लट्ठों को स्थानांतरित करने की अनुमति आदि और दावे में बताए गए भारी खर्च का खर्च संविदाकारी-कंपनी द्वारा अपीलार्थी के कारण किया गया था। खंड 6.6। 0 अनुबंध की सामान्य शर्तें "ठेकेदार द्वारा दावे" (मामले में संविदाकारी) से संबंधित है। खंड 6.6.1.0। अनुबंध में कहा गया है कि अतिरिक्त मुआवजे या पारिश्रमिक के दावे के मामले में, संविदाकारी किसी भी कार्य से संबंधित आदेश या निर्देश जारी करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपने दावे की लिखित सूचना देगा, जिसके लिए संविदाकारी इस तरह के अतिरिक्त भुगतान का दावा करता है। नोटिस में ऐसे दावे की प्रकृति, जिस आधार पर यह आधारित है और दावा की गई राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा। जब तक और जब तक नोटिस नहीं दिया जाता है, ठेकेदार संविदाकारी को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। खंड 6.6.3 में कहा गया है कि खंड 6.6.1.0 के अनुसार संविदाकारी का कोई भी दावा अलग से होगा।

दावे के विवरण के रूप में उसके द्वारा तैयार अंतिम विधेयक में शामिल किया गया है, जिसमें दावों की प्रकृति का विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर यह आधारित है और दावा की गई राशि का समर्थन नोटिस की एक प्रति द्वारा किया जाएगा और ठेकेदार किसी भी अधिसूचित दावे के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा जो खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम विधेयक में विशेष रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता है, जिसे संविदाकारी द्वारा माफ किया गया माना जाएगा। [पैरा 23] [617-बी-जी]

1.4 अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह पाया गया है कि संविदाकारी-कंपनी ने "कोई बकाया नहीं/कोई दावा नहीं" जारी किया था

21.09.2012 पर "सर्टिफिकेट", इसे अंतिम बिल की पूरी राशि रुपये मिली थी। 20.34 10.10.2012 पर करोड़ रुपये और उसके बाद 12 दिनों के बाद, यानी केवल 24.10.2012 पर, संविदाकारी-कंपनी ने "कोई बकाया नहीं/कोई दावा प्रमाण पत्र" जारी करते हुए 21.09.2012 दिनांकित पत्र वापस ले लिया। इसके अलावा, अंतिम विधेयक पर अनुबंध के दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें किए गए काम की मात्रा को स्वीकार करते हुए, अनुबंध के अनुसार अंतिम माप का संचालन करते हुए, मैसर्स ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तक पहुंचा।

वी. मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर।

कार्य के अंतिम मूल्य पर किए गए भुगतान और अंतिम भुगतान

अपीलार्थी को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया। इस मुद्दे के संबंध में कि "कोई बकाया प्रमाण पत्र" दबाव और जबरदस्ती के तहत दिया गया था, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त प्रमाण पत्र दबाव या जबरदस्ती के तहत दिया गया था और चूंकि प्रमाण पत्र ने स्वयं कोई बकाया नहीं दिया था, इसलिए संविदाकारी अब यह नहीं कह सकता था कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के कारण कोई और भुगतान अभी भी देय था। दबाव के बारे में कहानी इस पृष्ठभूमि में एक विचार था कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान की कल्पना पहले संविदाकारी द्वारा नहीं की गई थी। वित्तीय दबाव या जबरदस्ती के बारे में, इस तरह का कुछ भी प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है। केवल यह आरोप कि वित्तीय दबाव के तहत दावा न करने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं और जबरदस्ती, यह सुझाव देने के लिए और कुछ भी होने के बिना, एक मध्यस्थ विवाद की ओर नहीं ले जाती है। संविदाकारी के आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि "कोई दावा प्रमाणपत्र नहीं" उसके द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था; संविदाकारी ने स्वेच्छा से राशि स्वीकार की और अनुबंध को स्वेच्छा से निष्पादित किया गया था। [पैरा 24] [617-एच; 618 ए-एफ]

1.5 मान लीजिए, "कोई देय प्रमाण पत्र नहीं" अनुबंधकर्ता-कंपनी द्वारा 21.09.2012 पर और उनके अनुरोध पर प्रस्तुत किया गया था।

अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया था। संविदाकारी ने एक महीने के अंतराल के बाद, यानी 24.10.2012 पर, जबरदस्ती के आधार पर "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" वापस ले लिया। और अनुबंध स्थल के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए दबाव और दावा दिनांकित 12.01.2013 के पत्र के माध्यम से किया गया था, यानी साढ़े तीन महीने के अंतराल के बाद जबकि अंतिम बिल

10.10.2012 पर तय किया गया था। जब संविदाकारी ने स्वीकार किया इसके सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में अंतिम भुगतान, [2018] 2 एस. सी. आर. के दौरान हुए नुकसान के लिए दावा करने का कोई मतलब नहीं है।

विलंबित स्तर पर अनुबंध का निष्पादन जो इस बात पर संदेह पैदा करता है कि अंतिम विधेयक प्रस्तुत करते समय इस तरह के दावे का निपटारा क्यों नहीं किया गया, वह भी अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा संविदाकारी पर दबाव या जबरदस्ती के अभाव में। संविदाकारी द्वारा उठाई गई याचिका-कंपनी किसी भी विवरण और विवरण से रहित है, और एक गंजे दावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में, दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान था और वास्तव में सहमति और संतुष्टि थी और कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सके। [पैरा 25] [618-जी-एच; 619-ए-सी]

भारत संघ और अन्य बनाम। मास्टर कंस्ट्रक्शन कं.

(2011) 12 एससीसी 349 [2011] 5 एससीआर 853; नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम। जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(2015) 2 एससीसी 424: [2014] 12 एससीआर 360; राष्ट्रीय

बीमा कंपनी लिमिटेड v. बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट

लिमिटेड (2009) 1 एससीसी 267: [2008] 13 एससीआर 638;

आर. एल. कलाथिया एंड कंपनी बनाम गुजरात राज्य (2011) 2 एससीसी

400 [2011] 1 एस. सी. आर. 391-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 5 एससीआर 853

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

[2014] 12 एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[2008] 13 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2011] 1 एससीआर 391

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1659

2018 से।

उच्च न्यायालय के 12.01.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के सी. एम. पी. संख्या 35 में बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा।

पी. एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रभात कुमार, शौथ कुमार महाले, एस. आर. कमलाचरण, राजेश महाले, क्रुतिन जोशी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. विनय कुमार, सुश्री सादिका फातमा, सुश्री ग्रुशा मेहता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

मेसर्स ओ. एन. जी. सी. मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। वी. मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. के. अग्रवाल, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बेंगलुरु में 2014 के सी. एम. पी. संख्या 35 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक आई. डी. 1 के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1-कंपनी द्वारा दायर याचिका को अपीलार्थी-कंपनी और प्रतिवादी संख्या 1-कंपनी के बीच विवाद के समाधान के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुमति दी।

3. संक्षिप्त तथ्यः

(क) प्रत्यर्थी संख्या 1-संविदाकारी कंपनी को "साइट ग्रेडिंग, सड़कों, जल निकासी और जल निकासी के निर्माण" के लिए अनुबंध दिया गया था।

मैंगलोर में सुगंधित परिसर के लिए यौगिक दीवार अपीलार्थी द्वारा एस. ई. जेड.- 17.03.2008 पर ठेकेदार। स्वीकृति पत्र (एल. ओ. ए.) के अनुसार कुल अनुबंध मूल्य रु। 163,25,68,576 / - जिसे बाद में संशोधित कर रु। कर दिया गया। 195,68,24, 399.02 / - तारीख वाला पत्र देखें

(ग) इसके बाद, संविदाकारी कंपनी ने "कोई बकाया/कोई दावा प्रमाणपत्र नहीं" के लिए दिनांकित "आईडी1" का पत्र वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि यह अनुबंध के तहत निष्पादित कार्यों के खिलाफ उनके लंबे समय से देय वैध भुगतान को जारी करने के लिए एक पूर्व-आवश्यक शर्त थी और वही संविदाकारी कंपनी द्वारा अपीलार्थी-ठेकेदार के दबाव और जबरदस्ती के तहत प्रस्तुत किया गया था।

मैंगलोर में अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान। 19.06.2013 पर, अपीलकर्ता-ठेकेदार ने एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि अनुबंध के तहत दिए गए कार्यों को निष्पादित और पूरा किया गया है और कोई दावा प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है। संविदाकारी-कंपनी द्वारा प्रस्तुत। लिखित में कई संचार के बाद, अपीलकर्ता-ठेकेदार ने 25.07.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से, संविदाकारी-कंपनी के दावे का खंडन किया।

18] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 9.0.2 के तहत परिकल्पना के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार अनुबंध किया और श्री के. मोहनदास, पूर्व महाप्रबंधक (कानून)-एस. बी. आई. को इसका मध्यस्थ नियुक्त किया। अपीलार्थी-ठेकेदार ने दिनांकित 18.10.2013 पत्र के माध्यम से संविदाकारी-कंपनी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह कानून में मान्य नहीं है।

(च) विवाद को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजने में अपीलकर्ता-ठेकेदार के निर्णय से व्यथित होने के कारण, संविदाकारी-कंपनी ने प्राथमिकता दी।

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 का सी. एम. पी. सं. 35। (छ) उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 12.01.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से संविदाकारी द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी।

कंपनी।

(ज) दिनांकित 12.01.2015 आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ठेकेदार ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

4. अपीलार्थी कंपनी के वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. नरसिम्हा और प्रत्यर्थियों की ओर से श्री पी. विनय कुमार को सुना।

विचार करने के लिए बिंदुः

5. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या प्रत्यर्थी-संविदाकारी कंपनी ने विवाद को मध्यस्थता को भेजने के लिए मामला बनाया है?

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँः

6. ठेकेदार के लिए अनुभवी वरिष्ठ वकील-अपीलार्थी

कंपनी ने दृढ़ता से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि संविदाकारी-कंपनी ने यह दिखाने के लिए एक मामला स्थापित किया कि दावे के संबंध में एक वास्तविक और गंभीर विवाद था और यह दावा कि कोई बकाया प्रमाण पत्र/कोई दावा प्रमाण पत्र दबाव/जबरदस्ती के तहत जारी नहीं किया गया था, गलत और अस्थिर है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि भुगतान पर कोई रोक नहीं थी और अनुबंधकर्ता के अनुरोध के अधीन विस्तार दिया गया था-कंपनी का अनुरोध और अनुबंध लागत में वृद्धि के लिए प्रदान नहीं करता है। 7. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि भुगतान में देरी बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि खंड 6.40.0 के अनुसार, ठेकेदार पर आर. ए. बिलों का पूरा भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था, लेकिन यह

यह केवल प्रभारी अभियंता के मूल्यांकन पर किया जाना था।

मेसर्स ओ. एन. जी. सी. मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। वी.

मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

उच्च न्यायालय ने अंतिम विधेयक से बहुत पहले आदान-प्रदान किए गए कुछ पत्रों का उल्लेख करने में गलती की। वास्तव में, कथित दावों को अंतिम बिल जारी करने के समय या 21.09.2012 पर नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करने के समय कभी नहीं उठाया गया था और अब इस स्तर पर अनुबंधकर्ता-कंपनी के लिए अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान का मुद्दा उठाने के लिए खुला नहीं है।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंत में तर्क दिया कि जब किसी अनुबंध के दोनों पक्ष लिखित रूप में पुष्टि करते हैं कि अनुबंध पूरी तरह से और अंत में सभी दायित्वों के निष्पादन द्वारा निष्पादित किया गया है और कोई बकाया दावा या विवाद नहीं हैं, तो अदालत बाद के दावे या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करेगी। पक्षों के बीच अनुबंध का पूर्ण समझौता और संतुष्टि थी और दोनों पक्षों द्वारा आगे कुछ भी नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय संविदाकारी-कंपनी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने में सही नहीं था और विवाद को मध्यस्थता को भेजने और संविदाकारी-कंपनी को कथित राशि के भुगतान के लिए भी कोई मामला नहीं बनाया गया है। 9. इसके विपरीत, संविदाकारी के लिए विद्वान वकील-प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रस्तुत किया कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान,

संविदाकारी कंपनी ने निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों के लिए ठेकेदार-कंपनी को रनिंग अकाउंट बिल (आर. ए. बिल) दिए, लेकिन उन्हें अत्यधिक देरी और यहां तक कि रुपये के अंतिम बिल के साथ मंजूरी दे दी गई। 20.34 करोड़ रुपये अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा केवल तभी जारी किए गए जब संविदाकारी कंपनी ने दिनांक 21.09.2012 पर "कोई बकाया/कोई दावा प्रमाण पत्र नहीं" प्रस्तुत किया। जमा करने पर

उपरोक्त प्रमाणपत्र, अपीलार्थी-ठेकेदार ने अनुबंध के तहत संविदाकारी द्वारा किए गए कार्य को मंजूरी देते हुए एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया।

10. संविदाकर्ता के लिए विद्वान वकील-कंपनी ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलकर्ता-ठेकेदार वैध और वैध को मंजूरी नहीं दे रहा था।

आर. ए. बिलों के तहत देय वास्तविक बकाया और अनुबंध की शुरुआत से ही भुगतान जारी करने के लिए हमेशा अपीलकर्ता-ठेकेदार की दया पर था, रुपये का अंतिम भुगतान। 20.34 करोड़ और निष्पादन बैंक गारंटी जारी करने को अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा जानबूझकर रोक दिया गया था। 30.06.2011 पर काम पूरा हो गया और 21.09.2012 पर बकाया प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही अंतिम भुगतान जारी किया गया। आर. ए. बिलों का समय पर भुगतान न करने के कारण, संविदाकारी-कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में थी और "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी करने से इनकार नहीं कर सकती थी जो दबाव में जारी किया गया था और कानून की नजर में इसका कोई अर्थ नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. विद्वान वकील ने आगे कहा कि यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि पक्षों के बीच एक वास्तविक और गंभीर विवाद है जो

के खंडों के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता है

विस्फोट के काम में बाधा, कठोर चट्टान विस्फोट को रोकना, स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने वाले काम के संबंध में मुद्दे, परियोजना से विस्थापित परिवारों को छुट्टी न देना, वन मंजूरी के लिए अनुमति, लकड़ी के लट्ठों को स्थानांतरित करने की अनुमति आदि और दावे में प्रकट किए गए भारी खर्च का खर्च संविदाकारी-कंपनी द्वारा अपीलकर्ता-ठेकेदार के कारण किया गया था। 13. विद्वान वकील ने अंत में तर्क दिया कि "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" संविदाकारी द्वारा दायर किया गया था-कंपनी अपीलार्थी के प्रति उनके भारी भुगतान के कारण दबाव में थी-ठेकेदार जो

अपीलार्थी ठेकेदार के कारण हुए नुकसान के लिए उचित रूप से वापस ले लिया गया था। इसके अलावा, जब समझौते में मध्यस्थता खंड होता है,

संविदाकारी कंपनी को इसे लागू करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय संविदाकारी-कंपनी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने में सही था और इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं मांगा गया है।

चर्चाः

14. अपीलकर्ता ठेकेदार-ओ. एन. जी. सी. मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने "मैंगलोर में सुगंधित परिसर के लिए स्थल श्रेणीकरण, सड़कों के निर्माण, तूफानी जल निकासी और यौगिक दीवार" के लिए निविदा आमंत्रित की। बोली दस्तावेज मेसर्स टोयो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड (टी. ई. आई. एल.)-उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा ओ. एम. पी. एल. (ठेकेदार) की ओर से उनके परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में जारी किया गया था।

मेसर्स एएनएस मेसर्स ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। वी.

मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

निर्माण कार्य। अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि संविदाकारी-कंपनी अपीलार्थी-ठेकेदार से बिलों के तहत देय अपने वैध और वास्तविक बकाया का भुगतान करने के लिए कई अनुरोध किए, जो अत्यधिक देरी के बाद उन्हें भुगतान किया गया था। यह संविदाकारी-कंपनी का भी दावा है कि संविदाकारी को कोई बकाया प्रमाण पत्र/कोई दावा नहीं दाखिल करने के लिए मजबूर किया गया था

नो ड्यूज/नो क्लेम सर्टिफिकेट जमा किया है और इसे इस आधार पर वापस लिया गया है कि यह दबाव और जबरदस्ती के तहत प्राप्त किया गया था, गलत है और कानून में मान्य नहीं है। उनके दावे की अस्वीकृति से व्यथित होकर, संविदाकारी-कंपनी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया अनुबंध के तहत और इसका मध्यस्थ नियुक्त किया गया। अपीलार्थी-ठेकेदार ने 18.10.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपने मध्यस्थ को नामित करने से इनकार कर दिया। संविदाकारी-कंपनी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11 के तहत अपीलार्थी-ठेकेदार के नामित मध्यस्थ के बदले में एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक सिविल विविध याचिका दायर की ताकि उक्त मध्यस्थ और संविदाकारी द्वारा पहले से नियुक्त मध्यस्थ-कंपनी तीन [2018] 2 एस. सी. आर. के गठन के लिए तीसरे/पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत हो।

सदस्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध के निष्पादन से उत्पन्न विवाद पर निर्णय लेने के लिए अनुबंध की सहमत शर्तों के अनुसार।

17. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-ठेकेदार ने हमें अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से ले जाने के बाद प्रस्तुत किया कि अनुबंध समाप्त हो गया है और उसमें दायित्वों का निर्वहन कर दिया गया है और अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के रूप में विलंबित दावा करने का कोई मतलब नहीं है, वह भी अंतिम बिलों के साथ-साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट जमा करने के बाद। अपने दावे के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी (2011) 12 एस. सी. सी. 349 में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 18. हमारी राय में, निरपेक्ष प्रकार का कोई नियम नहीं है। ऐसे मामले में जहां दावेदार यह तर्क देता है कि आरोप-मुक्त करने का वाउचर या दावा नहीं करने का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है और दूसरा पक्ष इसकी शुद्धता का विरोध करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को कम से कम, प्रथम दृष्टया, यह पता लगाने के लिए इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि विवाद प्रामाणिक और वास्तविक है या नहीं। जहां दावेदार द्वारा निर्वहन वाउचर या दावा नहीं प्रमाणपत्र या निपटान समझौते की वैधता के संबंध में उठाया गया विवाद, प्रथम दृष्टया, विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होता है, वहां विवाद को इसके लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है

बिल्कुल भी मध्यस्थता।

19. यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मध्यस्थता की लागत काफी बड़ी है-ज्यादातर समय, यह छह और सात अंकों में चलती है। किसी पक्ष पर बोझ डालना उचित नहीं हो सकता है, जो यह तर्क देता है कि विवाद अनुबंध के निर्वहन के कारण मध्यस्थता की भारी लागत के साथ मध्यस्थता की भारी लागत के साथ मध्यस्थता के कारण दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की याचिका ली गई है। धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक गंजी याचिका पर्याप्त नहीं है और जो पक्ष इस तरह की याचिका स्थापित करता है, उसे मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष सामग्री रखकर प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करना चाहिए। यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोप में कुछ योग्यता मिलती है, तो वह उसी पर निर्णय ले सकते हैं या इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर, यदि इस तरह की याचिका एक विचार के बाद पाई जाती है, तो

विश्वास हो या विश्वसनीयता में कमी, इस मामले को तब और वहाँ शांत किया जाना चाहिए। मेसर्स ओ. एन. जी. सी. मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।

वी. एएनएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

18. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्य जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर (2015) 2 एस. सी. सी. 424 जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

7. सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान मामले में मुआवजे की स्वीकृति और अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर करने पर आरोप मुक्त करना स्वैच्छिक नहीं था और क्या दावेदार को मजबूरी या जबरदस्ती के अधीन किया गया था और इस तरह अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र को वैध रूप से लागू किया जा सकता है। इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट है। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड को पैरा 26 और 51 में निम्नानुसार बताया गया थाः

" 26. जब हम दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते द्वारा या पूर्ण और अंतिम समझौते के निष्पादन द्वारा अनुबंध के निर्वहन का उल्लेख करते हैं। एक पक्ष द्वारा भुगतान वाउचर/रसीद, हम एक समझौते या भुगतान वाउचर का उल्लेख करते हैं जो वैध और स्वेच्छा से निष्पादित किया जाता है। यदि वह पक्ष जिसने निर्वहन समझौते या निर्वहन वाउचर को निष्पादित किया है, आरोप लगाता है कि

ऐसा निर्वहन समझौता या वाउचर दूसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के कारण था और

इसे स्थापित करने में सक्षम होने पर स्पष्ट रूप से इस तरह के समझौते/वाउचर द्वारा अनुबंध का निर्वहन अमान्य हो जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नतीजतन, ऐसे पक्ष द्वारा उठाया गया कोई भी विवाद मध्यस्थता योग्य होगा।

* *

*

51. अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में सहमति और संतुष्टि या निष्पादन द्वारा अनुबंध का निर्वहन किया गया था। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा। दूसरी ओर, यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण और अंतिम निपटान रसीद या निर्वहन वाउचर किसी धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव का परिणाम था, तो उन्हें यह अभिनिर्धारित करना होगा कि अनुबंध का कोई निर्वहन नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें। वैकल्पिक रूप से, जहां मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित

व्यक्ति प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि डिस्चार्ज वाउचर स्वेच्छा से जारी नहीं किया गया था और दावेदार किसी मजबूरी या जबरदस्ती के तहत था, और यह कि मामला विस्तृत विचार के योग्य था, वह इसके बजाय [2018] 2 एस. सी. आर. कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को कम से कम, प्रथम दृष्टया, यह पता लगाने के लिए इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि विवाद प्रामाणिक और वास्तविक है या नहीं। जहाँ दावेदार द्वारा निर्वहन वाउचर या दावा नहीं प्रमाणपत्र की वैधता के संबंध में विवाद उठाया गया हो। या निपटान समझौते, प्रथम दृष्टया, विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होती है, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

19. यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मध्यस्थता की लागत काफी बड़ी है-ज्यादातर समय, यह छह और सात अंकों में चलती है। किसी पक्ष पर बोझ डालना उचित नहीं हो सकता है, जो यह तर्क देता है कि विवाद अनुबंध के निर्वहन के कारण मध्यस्थता की भारी लागत के साथ मध्यस्थता की भारी लागत के साथ मध्यस्थता के कारण दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की याचिका ली गई है। धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक गंजी याचिका पर्याप्त नहीं है और इस तरह की याचिका स्थापित करने वाले पक्ष को प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष सामग्री प्रस्तुत करके। यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोप में कुछ योग्यता मिलती है, तो वह उसी पर निर्णय ले सकते हैं या इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर, यदि इस तरह की याचिका एक विचार के बाद पाई जाती है, विश्वास करें या विश्वसनीयता में कमी है, तो मामले को वहाँ-वहाँ शांत किया जाना चाहिए। 22. उपरोक्त प्रमाणपत्र इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि भुगतान की प्राप्ति के बाद, अनुबंध के तहत ठेकेदार के दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हो गया है। कि भुगतान

ठेकेदार को अंतिम बिल 19-6-2000 पर दिया गया था जो विवाद में नहीं है। 19-6-2000 पर भुगतान की प्राप्ति के बाद, मैसर्स ओ. एन. जी. सी. मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को कोई शिकायत नहीं थी।

वी. एएनएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

ठेकेदार द्वारा तुरंत उठाया गया या दर्ज किया गया। इसके बाद संबंधित प्राधिकरण ने 12-7-2000 पर 21,00,000 की राशि में बैंक गारंटी जारी की। यह तब था जब उसी दिन ठेकेदार ने आगे के दावे दायर किए। 9. इसलिए यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक गंजी याचिका पर्याप्त नहीं है और जो पक्ष याचिका दायर करता है,

मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष सामग्री प्रस्तुत करके इसे प्रथम दृष्टया स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार, प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका में प्रासंगिक कथनों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव के थेः

" (छ) कि उक्त सर्वेक्षणकर्ता, प्रतिवादी कंपनी के साथ मिलकर, प्रतिवादी कंपनी को याचिकाकर्ता को इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने के अपने पूर्ण दायित्व से बचने के लिए, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया, नुकसान का आकलन करने के लिए जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और दबाव के तरीके अपनाए और याचिकाकर्ता को दावा प्रपत्र सहित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। प्रत्यर्थी कंपनी ने याचिकाकर्ता के न्यायोचित दावे को भी उनके चूक और कमीशन के कृत्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया और जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव का प्रयोग करते हुए और याचिकाकर्ता कंपनी को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसमें उक्त राशि के लिए पहले से तैयार निर्वहन वाउचर भी शामिल था, जिसे याचिकाकर्ता कंपनी को उक्त अवधि के दौरान अत्यधिक वित्तीय कठिनाई की अवधि में ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता कंपनी को नुकसान स्वीकार करने वाले पत्र सहित कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था

रुपये की राशि 6,09,55,406 और रुपये के दावे का निपटान करें

5,96,08,179 याचिकाकर्ता कंपनी के ब्याज के विरुद्ध 116 रुपये की वास्तविक हानि राशि की तुलना में। उक्त पत्र और उपरोक्त पूर्व-तैयार निर्वहन वाउचर में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने दावे की राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान में स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता कंपनी को इसे एकतरफा रूप से स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ता कंपनी को दबाव और जबरदस्ती के तहत उक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था

याचिकाकर्ता कंपनी को उक्त राशि को पूर्ण और अंतिम रूप से स्वीकार करने की धमकी दी अन्यथा प्रतिवादी कंपनी कोई भुगतान नहीं करेगी अग्नि नीति के लिए राशि। यह ऐसी मजबूर करने वाली परिस्थितियों में था कि याचिकाकर्ता कंपनी को मजबूर किया गया और दबाव में स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. हमारे सुविचारित विचार में, प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई याचिका किसी भी विवरण और विवरण से रहित है, और एक गंजे दावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के समय या उसके तुरंत बाद कोई विरोध या आपत्ति नहीं उठाई गई थी, कि दिनांकित नोटिस लगभग तीन सप्ताह बाद था और प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति इतनी अनिश्चित नहीं थी कि उसके पास सुझाए गए शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, हमारा दृढ़ विचार है कि

वर्तमान मामले में आरोपमुक्त करना और अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर करना किसी अनुचित प्रभाव के कारण नहीं था। इस तरह का निर्वहन और अधीनता पत्र पर हस्ताक्षर स्वैच्छिक था और किसी भी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से मुक्त था। इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि अनुरोध पत्र के निष्पादन पर, दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हुआ था। चूंकि इस प्रश्न का हमारा उत्तर, कि क्या वास्तव में सहमति और संतुष्टि थी, सकारात्मक है, हमारे विचार में कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सके। इसलिए उच्च न्यायालय की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं था। अधिनियम "।

19. जब हम किसी समझौते द्वारा किसी अनुबंध के निर्वहन का उल्लेख करते हैं

दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित या एक पक्ष द्वारा पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर/रसीद के निष्पादन द्वारा, हम एक समझौते या निर्वहन वाउचर का उल्लेख करते हैं जो वैध और स्वेच्छा से निष्पादित होता है। यदि वह पक्ष जिसने निर्वहन समझौते या निर्वहन वाउचर को निष्पादित किया है,

आरोप है कि इस तरह के निर्वहन समझौते या वाउचर का निष्पादन दूसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के कारण था और उसे स्थापित करने में सक्षम है, तो जाहिर है कि इस तरह के समझौते/वाउचर द्वारा अनुबंध का निर्वहन अमान्य हो जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नतीजतन, ऐसे पक्ष द्वारा उठाया गया कोई भी विवाद मध्यस्थता योग्य होगा। लेकिन यदि पक्ष इस तरह के दावे को स्थापित करने में सक्षम नहीं है या विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होती है, तो अदालतों के लिए विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए बिल्कुल भी खुला नहीं है।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267 में इस न्यायालय के निर्णय के माध्यम से हमें लिया गया। जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

मेसर्स ओ. एन. जी. सी. मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। वी. एएनएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

दावेदार, यदि उसकी वैधता दावेदार द्वारा विवादित है। 50. आइए हम विचार करें कि एक दीवानी अदालत ने ऐसे मामले में क्या किया होगा जहां प्रतिवादी वादी द्वारा जारी किए गए पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर के आधार पर सहमति और संतुष्टि का बचाव करता है, और वादी आरोप लगाता है कि यह धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया था और इसलिए मान्य नहीं है। यह सबूतों पर विचार करेगा कि क्या कोई धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव था। यदि यह पाया जाता है कि कोई नहीं था, तो यह स्वीकार करेगा

वाउचर अनुबंध के निर्वहन में है और गुण-दोष के आधार पर दावे की जांच किए बिना दावे को अस्वीकार कर देता है। दूसरी ओर, यदि यह पाया जाता है कि डिस्चार्ज वाउचर धोखाधड़ी/अनुचित प्रभाव/जबरदस्ती से प्राप्त किया गया था, तो यह उसी की अनदेखी करेगा, जांच करेगा कि क्या वादी ने गुण-दोष के आधार पर दावा किया था और यह तय करेगा कि

तदनुसार मामला। मध्यस्थता का प्रावधान होने पर भी स्थिति समान होगी। 51. अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में सहमति और संतुष्टि या निष्पादन द्वारा अनुबंध का निर्वहन किया गया था। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा। दूसरी ओर, यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण और अंतिम निपटान रसीद या निर्वहन वाउचर किसी धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव का परिणाम था, तो उन्हें यह अभिनिर्धारित करना होगा कि अनुबंध का कोई निर्वहन नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें।

वैकल्पिक रूप से, जहां मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को प्रथम दृष्टया संतोष होता है कि डिस्चार्ज वाउचर स्वेच्छा से जारी नहीं किया गया था और दावेदार किसी मजबूरी या जबरदस्ती के तहत था, और यह कि मामला विस्तृत विचार के योग्य था, वह इसके बजाय अदालत की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

स्वयं इस मुद्दे का निर्णय लेते हुए, मामले को एक विशिष्ट निर्देश के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजें कि उक्त प्रश्न होना चाहिए

पहले उदाहरण में उद्धृत किया।

2. चर्चा को पूरा करने के लिए कुछ उदाहरण (संपूर्ण नहीं) हैं कि कब दावे कड़वे होते हैं और कब नहीं होते हैं, जब तार और संतुष्टि द्वारा अनुबंध का निर्वहन विवादित होता है।

ये विषय हैंः

(i) एक दावा सुलह या पूर्व-मुकदमेबाजी लोक अदालत को संदर्भित किया जाता है। पक्ष बातचीत करते हैं और एक समझौते पर पहुंचते हैं। समझौते की शर्तें दोनों पक्षों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाती हैं और सुलहकर्ता या लोक अदालत के सदस्यों द्वारा सत्यापित की जाती हैं। सहमति और संतुष्टि के माध्यम से निपटान के बाद, मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

((ii) एक दावेदार कई दावे करता है। स्वीकृत या निर्विवाद दावों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद विवादित दावों के निपटारे के लिए बातचीत होती है जिसके परिणामस्वरूप एक समझौता होता है। सभी लंबित दावों और विवादों को लिखित रूप में निपटाना। इस तरह के निपटान पर, सहमत राशि का भुगतान किया जाता है और ठेकेदार एक निर्वहन वाउचर/नहीं-दावा प्रमाण पत्र/पूर्ण और अंतिम रसीद भी जारी करता है। इस तरह के समझौते और संतुष्टि द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बाद, न तो अनुबंध और न ही कोई विवाद विचार के लिए जीवित रहता है। किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

इसके बाद मध्यस्थता के लिए।

(iii) एक ठेकेदार काम को निष्पादित करता है और अनुबंध के संदर्भ में दस लाख रुपये के भुगतान का दावा करता है। नियोक्ता केवल छह लाख रुपये के दावे को स्वीकार करता है और ठेकेदार को या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप से सूचित करता है कि जब तक कि

ठेकेदार निर्धारित प्रारूप में डिस्चार्ज वाउचर देता है।

पूर्ण और अंतिम रूप से छह लाख रुपये की रसीद स्वीकार करना

अनुबंध की संतुष्टि, स्वीकार की गई राशि का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। ठेकेदार जो धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और स्वीकार की गई राशि जारी करने के लिए उत्सुक है, बिंदीदार रेखा पर या तो मुद्रित रूप में या अन्यथा संकेत करते हुए कहता है कि राशि पूर्ण और अंतिम निपटान में प्राप्त की जाए। ऐसे मामले में, निर्वहन नियोक्ता द्वारा लगाए गए जबरदस्ती के कारण आर्थिक दबाव में होता है। जाहिर है, डिस्चार्ज वाउचर को स्वैच्छिक या मैसर्स ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के रूप में नहीं माना जा सकता है।

वी. एएनएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध का निर्वहन सहमति और संतुष्टि से किया गया।

यह मध्यस्थता के लिए बाधा नहीं होगी।

(v) एक दावेदार नुकसान के रूप में एक बड़ी राशि का दावा करता है। प्रत्यर्थी दावे पर विवाद करता है। दावेदार जो समझौता करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए उत्सुक है, स्वेच्छा से दावे को कम करता है और निपटान के लिए अनुरोध करता है। प्रत्यर्थी सहमत होता है और दावे का निपटारा करता है और पूर्ण और अंतिम दावा प्राप्त करता है। वाउचर निकाल दें। यहां भले ही दावेदार वित्तीय मजबूरियों और वाणिज्यिक दबाव या आर्थिक दबाव के कारण समझौते के लिए सहमत हो गया हो, निर्णय उसकी स्वतंत्र पसंद थी।

प्रतिवादी द्वारा कोई धमकी, जबरदस्ती या मजबूरी नहीं थी। इसलिए, समझौता और संतुष्टि बाध्यकारी और वैध है और

इसके बाद कोई दावा या संदर्भ नहीं हो सकता है

मध्यस्थता "।

21. विद्वान वकील ने आगे कलाथिया एंड कंपनी बनाम कलाथिया एंड कंपनी बनाम कलाथिया एंड कंपनी बनाम

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतिम संतुष्टि और ठेकेदार द्वारा 'ना-मांग प्रमाणपत्र' जारी करने के बाद, क्या अनुबंध का कोई भी पक्ष इसके लिए कोई विवाद उठा सकता है

मध्यस्थता का संदर्भ? "

उक्त मुद्दे का जवाब देते हुए इस न्यायालय ने कहाः

अपने तथ्यों पर विचार किया जाए।
28. इसके अलावा, अनिवार्यता गैर-बंदी कानून एक पुराना सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती है। एक व्यक्ति कभी-कभी हो सकता है

सौदे के लिए दूसरे पक्ष के दबाव के आगे झुकना पड़ता है

जो एक मजबूत स्थिति में है "।

22. हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय ने इस दावे पर संविदाकारी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट था

संविदाकारी-अपीलार्थी द्वारा कंपनी-संविदाकार की जाँच उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जिसमें पक्षों के बीच उक्त पत्रों का आदान-प्रदान किया गया है। संविदाकारी कंपनी के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से हमारे अवलोकन के लिए प्रासंगिक तिथियों को प्रस्तुत किया ताकि यह दिखाया जा सके कि आर. ए. बिल भुगतान करने के लिए विभिन्न तिथियों पर उठाए गए थे। आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों को समय-समय पर अनुबंधकर्ता के दावों के निपटारे में देरी के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिससे अनुबंधकर्ता-कंपनी को समय-समय पर कार्यों को पूरा करने और नुकसान का सामना करना पड़ा। हालाँकि, अपीलकर्ता ठेकेदार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने इसे एक वास्तविक मेसर्स ओ. एन. जी. सी. मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड मानने में सही नहीं था।

वी.

मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

और किए गए दावे और पक्षों के आचरण के संबंध में गंभीर विवाद, जैसा कि पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार में परिलक्षित होता है, यह खुलासा करते हुए कि संविदाकारी-कंपनी को कई वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा।

23. नो ड्यूज सर्टिफिकेट दाखिल करते समय दबाव और जबरदस्ती का झूठा दावा करने के बाद, अनुबंधकर्ता-कंपनी ने अपीलकर्ता-ठेकेदार को 12.01.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से एक दावा प्रस्तुत किया।

रु. 96,88,48, 642.00 मैंगलोर में अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए। यह दावा किया गया है कि संविदाकारी-कंपनी विभिन्न कारणों से काम जारी नहीं रख सकी, जैसे कि पूजा, मूर्तियों को स्थानांतरित करना, साइट की मुफ्त बोझ की अनुपलब्धता, विस्फोट के काम में बाधा, कठोर चट्टान विस्फोट को रोकना, स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने वाले काम के संबंध में मुद्दे, परियोजना से विस्थापित परिवारों को छुट्टी न देना, वन मंजूरी के लिए अनुमति, लकड़ी के लट्ठों को स्थानांतरित करने की अनुमति आदि और दावे में बताए गए भारी खर्च के कारण संविदाकारी-कंपनी द्वारा अपीलकर्ता-ठेकेदार को जिम्मेदार कारकों के कारण खर्च किया गया था। खंड 6.6। 0 की सामान्य शर्तें

अनुबंध "ठेकेदार द्वारा दावे" (मामले में संविदाकारी) से संबंधित है। खंड 6.6.1.0। अनुबंध में कहा गया है कि अतिरिक्त मुआवजे या पारिश्रमिक के दावे के मामले में, संविदाकारी किसी भी कार्य से संबंधित आदेश या निर्देश जारी करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपने दावे की लिखित सूचना देगा, जिसके लिए संविदाकारी इस तरह के अतिरिक्त भुगतान का दावा करता है। नोटिस में ऐसे दावे की प्रकृति, जिस आधार पर यह आधारित है और दावा की गई राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा। जब तक नोटिस नहीं दिया जाता, ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

संविदाकर्ता को मुआवजा। खंड 6.6.3 में कहा गया है कि खंड 6.6.1.0 के अनुसार संविदाकारी का कोई भी दावा अलग से होगा। दावे के विवरण के रूप में उसके द्वारा तैयार अंतिम विधेयक में शामिल, जिसमें दावों की प्रकृति का विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर यह आधारित है और दावा की गई राशि का समर्थन नोटिस की एक प्रति द्वारा किया जाएगा और ठेकेदार किसी भी अधिसूचित दावे के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा जो अंतिम विधेयक में विशेष रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता है।

खंड 6.6.3.0 के प्रावधान जिन्हें संविदाकारी द्वारा माफ किया गया माना जाएगा।

24. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, हम पाते हैं कि संविदाकारी कंपनी ने 21.09.2012 पर "कोई बकाया/कोई दावा प्रमाण पत्र नहीं" जारी किया था, उसे अंतिम बिल की पूरी राशि रुपये प्राप्त हुई थी। 20.34 10.10.2012 पर करोड़ रुपये और उसके बाद 12 दिनों के बाद, यानी केवल 24.10.2012 पर, [2018] 2 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविदाकारी-कंपनी ने "कोई बकाया/कोई दावा प्रमाण पत्र नहीं" जारी करते हुए 21.09.2012 दिनांकित पत्र वापस ले लिया। इसके अलावा, हम यह भी पाते हैं कि अंतिम विधेयक पर अनुबंध के दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं, जो किए गए काम की मात्रा को स्वीकार करते हैं और अंतिम माप का संचालन करते हैं।

हमारा मानना है कि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों, अंतिम विधेयक को उठाने और उस संबंध में पक्षों के आपसी समझौते, सभी दावे, अधिकार और पक्षों के दायित्व अंतिम विधेयक के साथ विलय हो जाते हैं और आगे कुछ भी नहीं किया जाना बाकी है। इसके अलावा, अपीलकर्ता-ठेकेदार ने दिनांक 19.06.2013 का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया।

जिसके अनुसार अपीलार्थी-ठेकेदार को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इस मुद्दे के संबंध में कि "नहीं-देय प्रमाण पत्र" दबाव और जबरदस्ती के तहत दिया गया था, हमारी राय है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त प्रमाण पत्र था दबाव या जबरदस्ती के तहत दिया गया और चूंकि प्रमाण पत्र ने स्वयं कोई बकाया नहीं दिया था, इसलिए संविदाकारी अब यह नहीं कह सकता था कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के कारण कोई और भुगतान अभी भी देय था। दबाव के बारे में कहानी इस पृष्ठभूमि में एक विचार था कि इस दौरान हुए नुकसान

संविदाकारी द्वारा अनुबंध के निष्पादन की कल्पना पहले नहीं की गई थी। वित्तीय दबाव या जबरदस्ती के बारे में, इस तरह का कुछ भी प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है। केवल यह आरोप कि वित्तीय दबाव और जबरदस्ती के तहत नो-क्लेम प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं, बिना यह सुझाव देने के लिए और कुछ भी है, एक मध्यस्थ विवाद की ओर नहीं ले जाता है। संविदाकारी के आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसके द्वारा स्वेच्छा से "ना-दावा प्रमाण पत्र" दिया गया था; संविदाकारी ने स्वेच्छा से राशि स्वीकार की और अनुबंध का स्वेच्छा से निर्वहन किया गया।

निष्कर्षः

25. मान लीजिए, अनुबंधकर्ता-कंपनी द्वारा 21.09.2012 पर और उनके अनुरोध पर कोई देय प्रमाण पत्र जमा किया गया था।

अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया था। संविदाकारी ने एक महीने के अंतराल के बाद, यानी 24.10.2012 पर, जबरदस्ती और दबाव के आधार पर बकाया प्रमाणपत्र वापस ले लिया और समझौते के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए दावा किया।

अनुबंध स्थल दिनांक 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से बनाया गया था, यानी साढ़े तीन महीने के अंतराल के बाद, जबकि अंतिम बिल का निपटारा मैसर्स ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पर किया गया था।

वी.

मेसर्स एन्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। & एएनआर। [आर. के. अग्रवाल, जे.]

10.10.2012 . जब संविदाकारी अपने सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में अंतिम भुगतान स्वीकार करता है, तो विलंबित चरण में अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए दावा करने का कोई मतलब नहीं है, जो इस बात पर संदेह पैदा करता है कि अंतिम बिल जमा करते समय इस तरह के दावे का निपटारा क्यों नहीं किया गया, वह भी अपीलकर्ता-ठेकेदार द्वारा संविदाकारी पर दबाव या जबरदस्ती का प्रयोग करने के अभाव में। हमारे सुविचारित विचार में, संविदाकारी-कंपनी द्वारा उठाई गई याचिका किसी भी विवरण और विवरण से रहित है, और एक गंजे दावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में, दावे का पूर्ण और अंतिम निपटारा किया गया था

और वास्तव में सहमति और संतुष्टि थी और हमारे विचार में कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सके। द.

इसलिए, उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं था।

26. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित 12.01.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं। याचिका यह है कि

अनुमति दी गई।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे